कंज्यूमर केयर अभियान

सात फर्मों पर निरीक्षण, तोल में गड़बड़ी पर जुर्माना

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. खाद्य विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारी कंज्यूमर केयर अभियान के तहत मंगलवार को जयपुर सहित अलग-अलग जिलों में एक्शन में दिखे। अधिकारियों ने तोल में गड़बड़ी करने वाली मिठाई की दुकानों व अन्य फर्मों पर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार जयपुर समेत अलग-अलग जगहों पर 73 फर्मों का निरीक्षण किया गया। जयपुर शहर में विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों की दो टीम सांगानेर व विद्याधर नगर में सक्रिय रही। सांगानेर में नानगराम मावा वाला, लाडूराम-नानगराम, जनता जोधपुर स्वीट्स, गोपाल जी डेरी फार्म एंड स्वीट्स, विद्याधर नगर में श्री कलाकंद वाला, सोढ़ानी स्वीट्स और अग्रवाल कैटर्स पर वजन तोलने की मशीन सत्यापित नहीं थी और तोल में गड़बड़ी करने पर जुर्माना किया गया। जयपुर शहर में मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई कर 44 हजार 500 रुपए और पूरे प्रदेश में 1 लाख 41 हजार से ज्यादा का जुर्माना फर्मों पर लगाया गया।